

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम चिन्नीडिया पटवारा के 9 में जमीन के मालिक का नाम भवानीराम पिता देवा इतने रिपोर्ट है। जबकि वास्तव में भैया देवीलाल इतने रिपोर्ट है। अतः जमीन के मालिक का नाम देवा के बजाय देवीलाल लिखा जाता उचित है।

रिपोर्ट 11/05/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारा 9 में जमीन के मालिक के जमीन के मालिक का नाम देवा के बजाय देवीलाल दर्ज किया जाना उचित है।

डा. फा 83/2018

आदेश

11/05/2018

हस्त राय तहसीलदार रावतभारा के आधार पर ग्राम चिन्नीडिया पटवारा जण्डल कुआंखेड़ा की जमाबंदी सन्वत् 2073-76 के खाता सं. 9 में भवानीराम पिता देवा के बजाय भवानीराम पिता देवीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अधिकारी
अपखण्ड अधिकारी
रावतभारा